

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ 15, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—अधिनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2012

क्र. 2026-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 जो कि दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें)
(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन

1. प्रस्तावना.—जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 जिसकी नियंत्रण अवधि मार्च 2012 तक है, दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था. इस विनियम

की प्रयोज्यता को विनियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2009 से संशोधित किये जाने बाबत् इसकी नियंत्रण अवधि का विस्तार माह मार्च, 2013 तक, द्वितीय संशोधन के माध्यम से दिनांक 10 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था. जिस समय आयोग द्वारा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 तथा इसका प्रथम संशोधन जारी किया गया था तो विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण किये जाने हेतु राज्य में 45 मेगावाट, 250 मेगावाट, 600 मेगावाट तथा 660 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक संयंत्र प्रचलन में नहीं थे. अतएव, विनियमों में ऐसे संयंत्रों के संबंध में प्रचलन के मानदण्ड तथा प्रचालन एवं संधारण व्यय विनिर्दिष्ट नहीं किये गये थे. चूंकि वर्तमान में राज्य में इन क्षमताओं के संयंत्र निर्माणाधीन हैं, अतएव विनियमों में 45 मेगावाट क्षमता संयंत्रों के प्रचालन मानदण्ड तथा ऐसी समस्त क्षमताओं के संबंध में भी प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु इन विनियमों में संशोधन किये जाने आवश्यक हैं.

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—2.1 (i) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)[ए. आर. जी.-26 (I) (iii), वर्ष 2012]" कहलायेंगे.

2.2 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्ण में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2013 तक लागू रहेंगे.

3. विनियम 15 में संशोधन.—"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009" जिसे एतद् पश्चात् "प्रधान विनियम" कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

प्रधान विनियमों में विनियम 15.3 के बाद निम्न विनियम जोड़ा, जाएगा, अर्थात् :—

"15.4 जहां इस विनियम के खण्ड 15.1 तथा संशोधित खण्ड 15.2 के अनुसार आयोग के समक्ष किसी विद्यमान अथवा नवीन परियोजना के बारे में टैरिफ अवधारण बाबत् कोई आवेदन दाखिल किया गया हो, आयोग अपने स्वविवेक अनुसार युक्तियुक्त जांच के उपरान्त वार्षिक स्थाई लागत के 95 प्रतिशत तक अनन्तिम टैरिफ स्वीकार कर सकेगा जो इस विनियम के खण्ड 15.3 के उपबंध के अनुसार, अन्तिम टैरिफ आदेश जारी किये जाने के पश्चात्, समायोजन के अधधीन होगा :

बशर्तें यह कि विद्यमान अथवा नयी परियोजनाएं, जिस हेतु अनन्तिम टैरिफ की स्वीकृति प्रदान की गई है, के संबंध में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की वसूली, जैसा कि वह प्रकरण में लागू हो का प्रावधान इन विनियमों के सुसंबद्ध उपबंधों के अनुसार किया जाएगा."

4. विनियम 33 में संशोधन.—प्रधान विनियमों में, विनियम 33.2 (अ) तथा 33.2 (द) के अन्तर्गत निम्न तालिकाएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(अ) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normal Annual Plant Availability Factor)

45 मेगावाट सेट	200/210/250 मेगावाट सेट	300/330/500 मेगावाट सेट	600/660 मेगावाट सेट
85 प्रतिशत	85 प्रतिशत	85 प्रतिशत	85 प्रतिशत

(द) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)

सरल क्रमांक	पावर स्टेशन	मय प्राकृतिक वायु प्रवाहित अथवा शीतलन टावर के
(1)	(2)	(3)
1	200 मेगावाट श्रृंखला	8.5 प्रतिशत
2	500 मेगावाट तथा इससे अधिक वाष्प चालित वाष्प यंत्र पोषित पम्प विद्युत् चालित वाष्प यंत्र पोषित पम्प	6.0 प्रतिशत 8.5 प्रतिशत
3	45 मेगावाट	10 प्रतिशत

बशर्ते यह भी कि उत्सर्जित वायु प्रवाहित शीतली कारण टॉवर (induced draft cooling tower) वाले ताप विद्युत् उत्पादक स्टेशनों हेतु मानदण्डों में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी।"

5. विनियम 34 में संशोधन.—प्रधान विनियमों में, विनियम 34.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"34.1 विद्यमान ताप विद्युत् स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत (Employee Cost), मरम्मत तथा संधारण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत. विद्यमान ताप विद्युत् स्टेशनों के मानदण्डों में पेन्शन, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) व कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वाली प्रोत्साहन राशि, शासन को देय कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क शामिल नहीं होंगे. विद्युत् उत्पादक कम्पनी शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क का दावा पृथक् से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी. पेन्शन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावे को विनियम 26 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा.

अ. विद्यमान ताप विद्युत् उत्पादक इकाइयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :

रुपये लाख प्रति मेगावाट

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62.5	21.42	22.74	24.13	25.61
120	17.84	18.94	20.10	21.33
200/210/250	14.28	15.16	16.09	17.08
500	10.70	11.36	12.05	12.79

ब. दिनांक 31-3-2012 के उपरान्त क्रियाशील किये गये (Commissioned) नवीन विद्युत् उत्पादक स्टेशनों हेतु प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड :

रुपये लाख प्रति मेगावाट

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2012-13
45	24.00
200/210/250	17.08
600 तथा उससे अधिक	12.00

बशर्ते यह कि अतिरिक्त इकाइयों हेतु उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्डों को निम्न कारकों से गुणा किया जाएगा जिनमें उक्त स्टेशन हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) उन इकाइयों की तत्संबंधी इकाइयों हेतु दिनांक 1-4-2009 को अथवा तत्पश्चात् घटित हो:

200/210/250 मेगावाट	अतिरिक्त पांचवी तथा छठी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त सातवीं तथा और अधिक इकाइयां	0.85
300/330/500 मेगावाट	अतिरिक्त चौथी तथा पांचवी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त छठी तथा और अधिक इकाइयां	0.85
500 मेगावाट तथा इससे अधिक	अतिरिक्त तीसरी तथा चौथी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त पांचवी तथा और अधिक इकाइयां	0.85